भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4039

17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए सहायता

4039. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और हाल के वर्ष में भारी वर्षा/ओलावृष्टि के कारण महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को हुए वित्तीय नुकसान का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रभावित किसानों, परिवारों और गांवों की कुल संख्या सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है और जान-माल से संबंधित कितनी क्षति हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का कोई निरीक्षण किया गया है और यदि हां, तो निरीक्षण दल द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित किसानों और उनके परिवारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण किसानों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया है और वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक प्रभावित क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**प्रभावित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)**	**प्रभावित किसानों की संख्या (लाखों में)**	**स्वीकृत राहत (रुपये में करोड़)**
1.	2022-23	67.53	94.03	8637.46
2.	2023-24	52.06	69.05	6421.63
3.	2024-25	48.88	68.40	6948.77
4.	2025-26	105.88	136.28	20195.50
	कुल	274.35	367.76	42203.36

जनवरी, 2026 के दौरान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण कुल 17481 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिससे 3 जिलों के 30413 किसान प्रभावित हुए। जनवरी, 2026 में प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में 2256.87 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 के दौरान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण कुल 46980.94 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण जारी है।

(घ) से (च): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, बाढ़ सहित अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। गंभीर आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से एसडीआरएफ के अतिरिक्त अधिक वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है। इसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा एनडीआरएफ के तहत सहायता के लिए प्रस्तुत ज्ञापन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता मुआवजे के रूप में न होकर राहत के रूप में होती है।

वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक (दिनांक 28.02.2026 तक) एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत आवंटन और रिलीज का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**एसडीआरएफ के तहत आवंटन**		**एसडीआरएफ के तहत जारी केंद्र का हिस्सा**	**एनडीआरएफ के तहत जारी**
	केंद्र का हिस्सा	**राज्य का हिस्सा**		
2022-23	2706.40	902.20	2706.40	-
2023-24	2841.60	947.20	2841.60	-
2024-25	2984.00	994.40	2984.00	-
2025-26	3132.80	1044.00	3132.80	138.09 (अग्निशमन सेवाएं)
कुल	**11664.80**	**3887.80**	**11664.80**	**138.09**

महाराष्ट्र में वर्ष 2025 में आई बाढ़ के मद्देनजर, राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा 16 अक्टूबर, 2025 को मौके पर नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (आईएमसीटी) का गठन किया गया। आईएमसीटी ने 3 से 5 नवंबर, 2025 के दौरान राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवाओं (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया गया है।

वर्ष 2025 में आई बाढ़ के मद्देनजर केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से 29,781.66 करोड़ रूपये की राशि की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हुआ। उक्त ज्ञापन की जांच करने पर, गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के प्रारूपों/दिशानिर्देशों और मदों/मानदंडों के अनुसार पुनः संशोधित ज्ञापन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसके बाद, संशोधित ज्ञापन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(छ): प्राकृतिक आपदाओं, भारी वर्षा और बाढ़ के कारण किसानों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- जलवायु अनुकूलन योजना और उसका कार्यान्वयन:

जलवायु अनुकूल कृषि: एनडीकेएसपी (नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प) (जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना)

- प्रौद्योगिकी को अपनाना:
 i) फसल की सेहत, मिट्टी की नमी और क्षति के आकलन के लिए उपग्रह चित्र, ड्रोन और जीआईएस का उपयोग।
 ii) ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, सेंसर आधारित जल प्रबंधन, स्वचालित समय-निर्धारण।
 iii) मौसम संबंधी सलाह, कीट प्रबंधन, बुवाई/कटाई मार्गदर्शन के लिए मोबाइल ऐप और एसएमएस।
 iv) मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरक प्रबंधन।
- फसल विविधीकरण: बहु-फसली प्रणाली; पशुधन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के साथ फसलों का एकीकरण; कृषि प्रसंस्करण और एफपीओ-आधारित बाजार पहुंच।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: अत्यधिक वर्षा, सूखा, लू, ओलावृष्टि और कीट/रोगों के प्रकोप के बारे में समय पर चेतावनी देने के लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन अधिकारियों के बीच समन्वित तंत्र।
